जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 07-09-2020**

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

अवैध तमंचा तथा कारतूस व 1760 ग्राम अवैध गांजे के साथ हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा राजेश उर्फ छोटू पुत्र काशी निवासी बड़याठाठर टोला नागूपुरवा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व 1.760 किग्रा0 अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 क्रमशः 251/2020 व 250/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम व 8/20 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 निल/17 धारा 41/411/ 379/419/420/467/468 भादवि थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर।

2- मु0अ0सं0 969/17 धारा 379 भादवि थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर जनपद सतंकबीरनगर।

3- मु0अ0सं0 336/17 धारा 406 भादवि थाना थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर।

4- मु0अ0सं0 297/17 धारा 379 भादवि थाना चिरुआताल जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय, उ0नि0 रविन्द्र प्रताप, उ0नि0 बलराम पाण्डेय, हे0का0 गिरजेश मिश्रा, हेका0 रामविनय यादव, का0 मृत्युंजय यादव।

अवैध लकड़ी के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार लकड़ी के 47 बोटा बरामद

थाना दुधारा पुलिस द्वारा अवैध लकड़ी के साथ 01 अभियुक्त नाम पता चंदन यादव पुत्र गुरुचरण यादव निवासी ठाड़ीपार थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर को अवैध साखू की 25 बोटा, शीशम 10 बोटा व सागवन के 12 बोटा के साथ गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 267/2020 धारा 26/52(डी) फॉरेस्ट अधिनियम, 4/10 ग्राम वन सरंक्षण अधिनिमय, व 3/28 ट्रांजिट अधिनियम पंजीकृत किया गया।

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 30 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

मेहदावल पुलिस द्वारा 30 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ 03 अभियुक्तगण नाम पता 1- दशरथ पुत्र कवलेश्वर साकिन मुरली पंडित पुरवा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर 2- परमात्मा साहनी पुत्र राजकुमार साहनी 3- मंगल साहनी उर्फ कोको साहनी पुत्र गोरख साहनी निवासीगण ग्राम जमोहरा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर मेहदावल पर क्रमशः मु0अ0सं0 147/2020, 148/2020 व 149/2020 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 1489 द्वारा द्वारा बिमार व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल</u>– पीआरवी <u>1489</u> को थाना महुली क्षेत्रान्तर्गत इवेन्ट संख्या 00023 से कालर गुड्डू नें चिकित्सक द्वारा मरीज का इलाज न करने के सम्बन्ध सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 04 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचकर बीमार व्यक्ति को प्रा0 स्वा0 केन्द्र नाथनगर से जिला चिकित्सालय रेफर कराया गया तथा इस सम्बन्ध में थाना महुली को सूचित किया गया। पीआवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुचकर बिमार व्यक्ति को इलाज हेतु जिला चिकित्सालय रेफर कराया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 हृदयानन्द तिवारी, आरक्षी फुलबदन यादव, हो0चा0 प्रमोद पाण्डेय।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 01अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 115 वाहनो से 107400 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 07-09-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 115 वाहनो से 107400 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।